

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

ग्रामीण चिप्स उद्योग मांगरोल, तहसील निम्बाहेड़ा प्रो. गिरधारी सिंह शेखावत
बनाम

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सम्मन दू परियोजना निदेशक

प्रकरण संख्या 51/2018 (रे.वि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.2019	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मूल प्रकरण संख्या 05/2015 (रा.अ.) में दिनांक 07.11.2017 को पत्रावली में बहस हुई। उक्त दिनांक को हुई बहस केवल इस बिन्दू पर थी कि क्या इस प्रकरण पर नया फेयर एण्ड कम्पनसेशन एक्ट लागू होगा या नहीं ? मेरिट पर कोई बहस नहीं हुई थी तथा उसे रिजर्व रखा गया था। उस समय कोई तारीख पेशी नहीं दी गई और बार-बार पूछने पर यही कहा कि फाईल निर्णय में है। रेवेन्यू कोर्ट मेन्युअल के अनुसार निर्णय एक माह में हो जाना चाहिए व यदि नहीं होता है तो दुबारा बहस के लिए पत्रावली नियत होती है व सामान्य प्रक्रिया भी परम्परा से यही चलती आ रही है। प्रकरण में एक माह बाद दिनांक 19.12.2017 को पूरा आदेश पारित कर दिया गया है और हमारी उपस्थिति भी अंकित है जबकि उक्त दिनांक को हम उपस्थित नहीं थे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर मूल पत्रावली में मेरिट पर बहस हेतु नियत फरमाई जावे।</p> <p>अधिवक्ता विपक्षी का मुख्य कथन यह रहा कि उक्त प्रकरण में माध्यस्थम अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों की विधिवत बहस सुनने के उपरान्त सभी तथ्यों का सम्यक विवेचन करने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2017 को दोनों पक्षों की सम्पूर्ण एवं अंतिम बहस सुनी गई थी एवं दिनांक 05.12.2017 को निर्णय हेतु पत्रावली नियत की गई थी परन्तु पीठासीन अधिकारी महोदय के राजकीय कार्य में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक 19.12.2017 नियत की गई तथा दिनांक 19.12.2017 को न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की मजिद बहस सुनकर दिनांक 19.12.2017 को ही निर्णय पारित किया गया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। प्रार्थी ने उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ के यहां रेफरेन्स प्रस्तुत किया है जिसे मयाद में लेने हेतु यह व्यर्थ प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज फरमाया जावे।</p>	



(शिवांगी स्वर्णकार)

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

.....

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। मूल पत्रावली संख्या 05/2015 (रा.अ.) निर्णय दिनांक 19.12.2017 का अवलोकन किया। उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 07.11.2017 में प्रकरण में उभय पक्ष की पूर्ण बहस सुनी गई तथा आदेश हेतु दिनांक 05.12.2017 नियत की गई थी किन्तु दिनांक 05.12.2017 को अन्य आवश्यक प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता के चलते प्रकरण में आगामी दिनांक 19.12.2017 नियत की गई। दिनांक 19.12.2017 को उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की पुनः मजिद बहस सुनकर प्रकरण में समग्र बिन्दुओं पर विश्लेषण के पश्चात् दिनांक 19.12.2017 को ही मेरीट पर खुले न्यायालय में निर्णय पारित किया गया था। अतः अधिवक्ता प्रार्थी का कथन कि "केवल इस बिन्दू पर बहस हुई थी कि क्या इस प्रकरण पर नया फेयर एण्ड कम्पनसेशन एक्ट लागू होगा या नहीं ? मेरीट पर कोई बहस नहीं हुई थी तथा उक्त दिनांक को हम उपस्थित नहीं थे" मानने योग्य नहीं है। न्यायालय हाजा द्वारा सम्पूर्ण बिन्दुओं पर उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात् पुनः दिनांक 19.12.2017 को उभय पक्ष की मजिद बहस सुनकर मेरीट पर निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर मूल पत्रावली संख्या 05/2015 (रा.अ.) निर्णय दिनांक 19.12.2017 के संलग्न की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'



(शिवांगी स्वर्णकार)
(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़